न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 121/2012

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 श्योपाल (मृत)
1/1 मनकोरी बेवा श्योपाल।
1/2 श्योराम पुत्र श्योपाल।
1/3 छाजुराम पुत्र श्योपाल समस्त जाति मालियान निवासी ढ़ाणी पिपराली तन बागोली तहसील उदयपुरवाटी।
1/4 प्रभाती पुत्री श्योपाल।
1/5 बिमला पुत्री श्योपाल जाति समस्त मालियान निवासी ढ़ाणी जोथीवाली तन गावंडी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
1/6 गुगली पुत्री श्योपाल जाति माली निवासी मावण्डा कलां तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 जगदीश (मृत)।
1/1 माया बेवा जगदीश।
1/2 प्रकाश पुत्र जगदीश।
1/3 बलदेश पुत्र जगदीश।
1/4 पवन पुत्र जगदीश।
1/5 मधुकांता पुत्र जगदीश समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम गावड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2 मूर्ति मन्दिर सुखध्यानजी वाके भीतरली गावंडी जरिये धन्नाराम पुत्र
डोडाराम निवासी गावड़ी अध्यक्ष मूर्ति मन्दिर सुखध्यानजी विकास समिति
गावड़ी तन नीमकाथाना जिला सीकर।
3 भूमिधारी तहसीलदार नीमकाथाना।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
दिनांकित 18.04.2012 बउनवानी श्योपाल बनाम
जगदीश प्रकरण संख्या 77/2003 पीठासीन
अधिकारी सेवाराम स्वामी आर.ए.एस. के द्वारा
वादीगण के वाद को अबैट किए जाने के विरूद्व

उपस्थित

1. श्री सुरेश कुमार सैनी अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री लक्ष्मण सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 11-01-2019

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा वाद संख्या 77/2003 में पारित निर्णय दिनांक 18.04.2012 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में ग्राम बल्बदासपुरा की भूमि खसरा नम्बर 906,907, 920,925,926,929,930,931,932 बाबत वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 01 ने आवेदन प्रस्तुत कर वादी प्रहलाद, रिछपाल की मृत्यु पर 12 महिने तक विधिक वारिसान को रिकार्ड पर नही लेने से दावा अबेट घोषित करने का निवेदन किया साथ ही संलग्न दावा मन्दिर ध्यानदासजी बनाम बालु मुकदमा नम्बर 58/01 में कार्यवाही चालु करने का निवेदन किया विचारण न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुनकर वाद संख्या 77/03 को अबैट घोषित किया एवं दावा संख्या 57/01 की कार्यवाही प्रारम्भ करने का आदेश दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश किया गया था कुल 9 वादीगण में से 2 की मृत्यु हुई है उनके विधिक वारिसान को नियत समय में कायम मुकाम नही बनाया गया क्योंकि अन्य वादीगण को उनकी मृत्यु की जानकारी नही हुई जानकारी होने पर विधि अनुसार आवेदन कर दिया केवल 02 वादीगण की मृत्यु पर सम्पूर्ण वाद अबैट नही होता है। न्यायाहित में अपील स्वीकार कर गुणावगुण पर प्रकरण के निस्तारण को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया। अपने कथनों के समर्थन में वकील अपीलांट ने आदेश 22

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

नियम 3,4 एवं ए.आई.आर. 1978 राजस्थान पेज 16 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है मृत्क वादीगण के विधिक वारिसान को नियत अवधि 90 दिवस में रिकार्ड पर नही लिया गया है। विलम्ब का सदभाविक कारण अंकित नही किया गया है वादीगण एक ही परिवार के व्यक्ति है अत मृत्यु की जानकारी नही हो यह संभव नही है। आदेश 22 नियम 9 का आवेदन भी प्रस्तुत नही किया गया है अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में 9 वादीगण क्रमशः स्योपाल, टोडुराम, प्रहलाद, रामकुमार, शैतान, रिछपाल, फुलचन्द, मूलचन्द, बालु की और से वाद प्रस्तुत किया गया है। इनमें से प्रहलाद एवं रिछपाल की मृत्यु होने पर नियत 90 दिवस में उनके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर नही लेने पर विचारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण वाद अबैट किया गया है। इस सन्दर्भ में हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आदेश 22 नियम 3 व 4 एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया ।

आदेश 22 नियम 3 व 4 में उल्लिखित है कि " -O.22, R.3- Abatement of suit – Failure to bring heirs of one of plaintiff- May or may not result in abatement of suit as whole – Suit as whole can abate only when cause of action of all plaintiffs is joint and in divisible. – O. 22, R. 3 – Abatement of suit – Suit for dissolution of partnership and rendition of accounts – Upon death of one

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

plaintiff, if legal heirs of deceased plaintiff are not brought on record – Right of such deceased plaintiff would stand defeated and it cannot defeat rights of other remaining plaintiffs, having in – dependent right to estate of partner – Cause of action not joint and indivisible – Delay in application for bringing on record legal heirs of deceased, not condoned – Suit cannot stand abated for failure to bring legal heirs of deceased plaintiff by refusing to condome delay. इसी प्रकार ए.आई.आर. 1978 राजस्थान पेज 16 में अभिनिर्धारित किया गया है कि " Civil procedure code (1908), o 22, Rr. 4, 11- Abatement of appeal – Joint and indivisible decree for possession against all defendants – appellants – L. Rs. Of deceased not brought on record within time prescribed – Inevitable con- sequence is that appeal abates in its en- tirety and appeal by other appellants could not be proceeded with.

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत एवं आदेश 22 नियम 3 व 4 के विधिक प्रावधानों की रोशनी में यह सुस्थापित है कि प्रस्तुत प्रकरण में 9 में से 2 वादीगण की मृत्यु पर सम्पूर्ण वाद अबैट नही किया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण वाद अबैट घोषित कर विधिक त्रुटि की है। जहां तक 2 वादीगण के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का प्रश्न है विचारण न्यायालय को गुणावगुण पर निस्तारण के बिन्दु को मध्य नजर रखकर उदार रूख अपनाना चाहिए था।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जाता है एवं न्यायहित में मृतक वादीगण के विधिक वारिसान को 1000–1000/– रूपये कोष्ट पर रिकार्ड पर लेने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक .....11.01.19..... को सरे इजलास सुनाया गया।

11.1.19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर